मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-1(1-15)/2021/29-1 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय- रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

---

1. प्रदेश में केन्द्र शासन की "विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना" अंतर्गत रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाती रही है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता की निम्न कृषि उपज का उपार्जन किया जाना है :-

(रू./प्रति क्विंटल)

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूं	1975

2. उपार्जन कार्य मुख्यत: कृषक पंजीयन से प्रारम्भ होगा, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

2.1 विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा।

2.2 किसान की भूमि, फसल के बोए गए रकबे एवं फसल के प्रकार की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी।

2.3 पंजीयन व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर Orientation प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण अपना पंजीयन निर्धारित समय से करा लें, इस हेतु पंचायतों/ग्राम सभाओं/प्राथमिकता सहकारी संस्थाओं/SMS के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा।

2.4 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित रूप से करने के लिए मैदानी स्तर पर विशेष प्रयास किया जावे। किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं समय-सीमा **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

2.5 सिकमीधारी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर उपलब्ध होगी।

2.6 कृषकों को और अधिक सशक्त करने तथा पंजीयन कराने के लिए संस्थाओं अथवा डाटा एन्ट्री आपरेटर पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से कृषकों के पास पंजीयन करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :-

i. प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के पंजीयन केन्द्र;
ii. गिरदावरी किसान एप;
iii. कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर गिरदावरी किसान एप से;

2.7 पंजीयन व्यवस्था के निम्न चरण होंगे :-

i. पंजीयन केन्द्रों का निर्धारण;

ii. पंजीयन केन्द्रों पर भौतिक एवं मानव संसाधन की उपलब्धता;

iii. कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया;

iv. प्रचार-प्रसार, कर्मचारी एवं संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण;

3. **पंजीयन की अवधि-**

किसान पंजीयन दिनांक 25.01.2021 से 25.02.2021 तक किया जाएगा। उपार्जन केन्द्रों पर पंजीयन प्रात: 9.00 से सायंकाल 7.00 बजे तक समस्त कार्य दिवसों में (रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर) किया जाएगा।

4. **पंजीयन स्थल-**

- पंजीयन निम्न स्थलों पर किया जा सकेगा :-

श्रेणी	पंजीयन स्थल
भू-स्वामी	गिरदावरी किसान एप; कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर गिरदावरी किसान एप से; समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र।
सिकमीदार	समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र।
वनाधिकार पट्टाधारी	

5. **पंजीयन संस्थाओं का निर्धारण-**

5.1 पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं की पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

i. पंजीयन केन्द्र संचालन के लिये उपार्जन एजेंन्सियों के जिला अधिकारी द्वारा संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जिलेवार स्थापित किए जाने वाले पंजीयन केन्द्रों की संख्या **परिशिष्ट-ब** अनुसार होगी।

ii. पंजीयन का कार्य निम्न पात्र संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा :-

- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाऐं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाऐं; अथवा
- आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाऐं के आदेश क्र. विपणन/2013/869 दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाऐं।

iii. सामान्यत: एक पात्र संस्था द्वारा अधिकतम दो पंजीयन केन्द्र का संचालन किया जाएगा किन्तु पात्र संस्थाऐं उपलब्ध न होने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में जिला उपार्जन समिति के प्रस्ताव के आधार पर संचालक, खाद्य के अनुमोदन से एक संस्था को दो से अधिक पंजीयन केन्द्रों का दायित्व सौंपा जा सकेगा, जिसमें विकासखण्ड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाए।

5.2 जिला उपार्जन समिति द्वारा पंजीयन केन्द्र का कार्य देने हेतु निम्न आधार पर संस्थाओं की पात्रता की जांच की जाएगी-:

i. संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो

ii. संस्था के पास पात्रतानुसार पर्याप्त साख सीमा (अनुमानित उपार्जन के प्रासंगिक एवं कमीशन मूल्य का 40%) उपलब्ध हों। उक्त स्वीकृत साख सीमा की लिखित में जानकारी संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होने पर ही मान्य की जाये।

iii. विगत 02 खरीफ विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) तथा 02 रबी विपणन वर्ष (2019-20 एवं 2020-21) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार:-

A. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक का अंतर न हो,

B. अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 01% से अधिक न हो,

C. प्रमाणित गंभीर अनियमितता व कृषकों को भुगतान में विलंब न किया गया हो,

D. ऑफलाईन मोड में उपार्जन का कार्य न किया हो तथा

E. परिवहनकर्ता को स्कंध बिना तौले अथवा परिवहन न किया हो

i. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो तथा कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व के वर्षो में किसी अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हो;

ii. पूर्व के वर्षो की किसी अपात्र संस्था के केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा, ऐसा डाटाबेस में प्रावधान किया जाएगा; तथा

iii. विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) तथा दो रबी विपणन वर्ष (2019-20 एवं 2020-21) में उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक अंतर वाली संस्थाओं को अपरिहार्य कारणों से जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य देने की अनुशंसा करने पर संस्था के संबंधित कर्मचारियों से स्कन्ध की अंतर मात्रा का 50% राशि (समर्थन मूल्य की दर से) एफडी के रूप में शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराए जाने के उपरांत संस्था को पंजीयन का कार्य दिया जा सकेगा, जिससे संस्था को पंजीयन/ उपार्जन कार्य में हानि/अनियमितता करने पर इस राशि से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.1 जिला स्तर पर DM-MPSCSC, DMO-MARKFED, जिला प्रभारी MPWLC एवं GM-DCCB से संस्थाओं की मापदण्ड पूर्ति के संबंध में विचार-विमर्श कर उपरांत उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

5.2 जिले में निर्धारित संख्या में पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाऐं उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक, खाद्य द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिथिलताऐं की जा सकेगी।

5.3 पंजीयन हेतु उक्तानुसार पात्र संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु NIC द्वारा DSO login में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाता, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने लॉगिन से प्रविष्ट किया जाएगा।

6. **पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-**

- विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में ऐसे किसानों को पंजीयन हेतु दस्तावेज/आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
- किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे।
- वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी।
- जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया गया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर; बैंक खाता नंबर; मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगी।
- किसान से उपज का विक्रय करने की संभावित 3 तिथियां प्राप्त की जाएगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जाएगा।
- किसानों को भुगतान JIT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हों) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में पंजीयन करने वाले आपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाएगा तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाए।
- किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जाए।
- किसान द्वारा उत्पादित फसल का भंडारण किन स्थानों पर किया गया है अथवा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आवेदन में दर्ज की जाए।
- किसान पंजीयन में बैंक खाता में संशोधन एवं नवीन खाते की प्रविष्टि की कार्यवाही OTP आधारित e-authentication प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।
- किसान पंजीयन का आवेदन प्रारूप **परिशिष्ट-स** पर संलग्न है।

7. **पंजीयन की प्रक्रिया-**

7.1 पूर्व से पंजीकृत किसानों हेतु-

i. ई-उपार्जन पोर्टल एवं गिरदावरी किसान एप पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पंजीयन मास्टर में दो विकल्प उपलब्ध होंगे यथा- पूर्व से पंजीकृत किसान एवं नवीन किसान पंजीयन।

ii. पूर्व से पंजीकृत किसान के विकल्प पर क्लिक करने पर किसान का विवरण प्रदर्शित करने हेतु किसान का समग्र आईडी/मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए, तदुपरांत किसान का नाम, भूमि का विवरण, बोई गई फसल, बैंक खाता, आधार एवं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

iii. किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई-उपार्जन पर किए गए किसान पंजीयन डाटाबेस से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल/फसल की किस्म विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।

iv. उक्तानुसार किसान की जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर पंजीयन के समय प्रदर्शित होगी, जिसे किसान द्वारा भी देखा जा सकेगा, जिसमें उन्हें उपज विक्रय करने की दिनांक, संभावित विक्रय मात्रा, फसल भण्डारण का स्थान/समय की जानकारी अंकित करना होगा।

v. पंजीयन OTP आधारित व्यवस्था से होगा तथा उसके उपरांत पंजीयन की सूचना किसान को SMS एवं ई-उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट-आउट निकालकर प्राप्त की जा सकेगी।

7.2 नवीन किसानों का पंजीयन-

- नवीन किसानों का पंजीयन हेतु गिरदावरी किसान एप में दी गई प्रक्रियानुसार ही होगी;
- किसान का नाम, बैंक खाता, IFSC, शाखा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फसल विक्रय हेतु 3 तिथि, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की जाने वाली फसल के भंडारण स्थल की जानकारी प्रविष्ट करना होगी;
- किसान की भूमि का रकबा, फसल एवं फसल की किस्म की जानकारी गिरदावरी से ली जाएगी।

7.3 समग्र आईडी किसान का किसान पंजीयन यूनिक आईडी होगी।

7.4 गिरदावरी में उल्लेखित भूमि के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा।

8. **गिरदावरी किसान एप एवं कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर गिरदावरी किसान एप से पंजीयन-**

- गिरदावरी किसान एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।
- एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा, जिसमें आधार से लिंक खसरे को ही पंजीयन में जोड़ा जा सकेगा।
- खसरे में उल्लेखित रकबा, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।
- उक्त प्रविष्टियों के उपरांत डाटा ई-उपार्जन एप्लीकेशन को प्रेषित किया जाएगा।
- प्रेषित डाटा में उल्लेखित खसरे का पूर्व में पंजीयन न होने पर पंजीयन सफल होगा एवं किसान पंजीयन नंबर प्रेषित किया जाएगा।
- गिरदावरी किसान एप से पंजीयन के समय किसान की बैंक की पास बुक (प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक खाते का विवरण हो) को स्केन कर अपलोड करना होगा।

9. **दावा-आपत्ति** -

- किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर किसान के पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा-आपत्ति करना होगी।
- दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

- गिरदावरी में बोई गई फसल, रकबे एवं फसल की किस्म में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर किसान पंजीयन में तदनुसार स्वत: संशोधन हो जाएगा, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से संबंधित किसान को NIC द्वारा प्रेषित की जाएगी।

10. **सत्यापन-**

- ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत निम्न श्रेणियों के किसानों के रकबा, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा :-
  - ✓ विगत वर्ष के पंजीयन से 50% अधिक रकबा वाले;
  - ✓ 4 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले किसानों;
  - ✓ सिकमी, बटाईदार किसान;
  - ✓ अन्य के स्वामित्व की भूमि वाले;
  - ✓ गिरदावरी किसान एप;
  - ✓ गिरदावरी किसान एप के माध्यम से कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर पंजीयन;
  - ✓ भू-अभिलेख एवं पंजीयन में किसान के नाम में भिन्नता।
- वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि DMmpscsc login से पोर्टल पर की जाएगी।

11. **प्रचार-प्रसार, कर्मचारियों की भूमिका का निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण-**

11.1 पंजीयन में कठिनाईयां एवं बाधाऐं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर कर ग्राम पंचायत/कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए।

11.2 किसानों के मध्य विशेष रूप से निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाए :-

i. पंजीयन के माध्यम से किसान को अवगत कराया जाए;
ii. पंजीयन गिरदावरी डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए गिरदावरी में किसान की फसल, रकबे एवं फसल की किस्म की प्रविष्टियां सही-सही कराई जाएं, आपत्ति होने पर संबंधित पटवारी राजस्व/निरीक्षक को अवगत कराया जाए;
iii. पंजीयन में किसान से बैंक खाता एवं IFSC सही होने की पुष्टि भी कराई जाए;
iv. किसान के खसरे में आधार नंबर दर्ज कराए जाएं।

11.3 प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर से की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है :-

i. रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि;
ii. विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हों, उन्हें SMS से सूचित करना;
iii. ग्राम में डोंडी पिटवाकर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराना;
iv. समिति/मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोसर एवं दूरभाष कर सूचित करना।

11.4 व्यवस्थित पंजीयन हेतु सभी पंजीयन केन्द्रों पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाए-

i. राज्य स्तर पर सम्बद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person प्रशिक्षण;

ii. संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक, खाद्य के प्रतिनिधि की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण;

iii. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण; तथा

iv. पंजीयन समिति, पंचायत, सम्बद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।

11.5 प्रत्येक स्तर पर पंजीयन कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाए -

i. जिला स्तर से पंजीयन केन्द्र में आवश्यक व्यवस्थाओं का सत्यापन पंजीयन निर्धारित तिथि के पूर्व करा लिया जाए;

ii. कलेक्टर द्वारा प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर प्रतिदिन एक कर्मचारी (कृषि/सहकारिता/खाद्य/राजस्व) की ड्यूटी लगाई जाए;

iii. पंजीयन व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर रबी विपणन मौसम की राज्य/जिला स्तरीय उपार्जन समिति उत्तरदायी होगी; तथा

iv. राज्य स्तर से समय-समय पर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी शासन स्तर से भेजे जाएंगे।

11.6 पंजीयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र-

i. जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा जिला सूचना अधिकारी, NIC के नेतृत्व में टीम गठित की जाए, जिसमें जिला ई-गर्वनेंस मैनेजर, द्वार प्रदाय योजना का एक कुशल आपरेटर एवं समिति स्तर के दो कुशल डाटा एन्ट्री आपरेटर रखे जाएं;

ii. राज्य स्तर पर भी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संचालक, खाद्य द्वारा एक टीम गठित की जाए;

iii. राज्य एवं जिला स्तर पर पंजीयन के दौरान एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए जो कि मार्गदर्शन दे सकें एवं समस्याओं को पंजीकृत कर निराकरण करा सके; तथा

iv. समस्त ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों एवं पंजीयन के प्रोटोकाल में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा शासन से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जाएगा।

12. **वित्तीय व्यवस्था-**

12.1 गेहूं के पंजीयन हेतु निर्धारित रिकरिंग खर्चों हेतु भारत शासन की प्रावधानिक लागत के उपार्जन संस्था के प्रशासनिक व्यय मद, समिति की कमीशन मद से प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा निर्धारित Norms अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।

12.2 प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर नियोजित एक डाटा एन्ट्री आपरेटर का मानदेय राज्य उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक व्यय मद से विकलनीय होगा।

12.3 पंजीयन केन्द्र की स्थापना एवं उपार्जन के अन्य कार्य हेतु जिला खाद्य कार्यालय हेतु एक कम्प्यूटर आपरेटर उपार्जन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मानदेय राज्य उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक व्यय मद से विकलनीय होगा।

12.4 समिति द्वारा पंजीयक का कार्य करने हेतु ऑपरेटर की सेवाऐं पंजीयन प्रारंभ होने के 05 दिवस पूर्व से पंजीयन समाप्त होने तक की अवधि तक ली जा सकेगी।

12.5 ई-उपार्जन के उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा मापदण्ड एवं दरें तय की जाएंगी तथा जिला प्रबंधक, MPSCSC के माध्यम से उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाते हुए मापदण्ड अनुसार भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

12.6 गेहूं के पंजीयन केन्द्रों पर लगने वाले हार्डवेयर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मद-6627-खाद्यान्न उपार्जन कम्प्यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत विकलनीय होगा।

12.7 वित्तीय व्यय हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन किया जाए तथा शासन द्वारा जारी नीति के अनुरूप कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किए जाएं।

उक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- उक्तानुसार।

(उमाकांत पाण्डेय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय.

पृ. क्रमांक एफ 5-1(1-15)/2021/29-1 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
6. आयुक्त, मंडी बोर्ड।
7. आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड) भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), मध्यप्रदेश।
12. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
13. राज्य सूचना अधिकारी NIC भोपाल।
14. श्री अब्राहम वर्गीस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC भोपाल।
15. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

परिशिष्ट-अ

रबी विपणन वर्ष 2020-21में गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की कार्ययोजना एवं समय-सीमा

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
1	प्रबंधन तंत्र का गठन	जिला उपार्जन समिति का गठन	कलेक्टर	12 जनवरी, 2021
		राज्य उपार्जन समिति का गठन	राज्य शासन	12 जनवरी, 2021
		पंजीयन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन	कलेक्टर	18 जनवरी, 2021
		राज्य एवं जिला कन्ट्रोल रूम की स्थापना	संचालक खाद्य - कलेक्टर - DSO	13 जनवरी, 2021
		राज्य/जिला तकनीकी सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	संचालक खाद्य - कलेक्टर	
2	पंजीयन केन्द्र स्थल, संस्था का निर्धारण	पंजीयन केन्द्रों की संख्या का तहसीलवार निर्धारण	कलेक्टर - DSO के माध्यम से	12 जनवरी, 2021
		पंजीयन केन्द्रों के स्थान चयन तथा पंचायत मैपिंग		15 जनवरी, 2021
		संस्थाओं की पात्रता का परीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाणकरना पत्र जारी-	DRCS, DMO, DM MPSCSC, जिला प्रभारी MPWLC एवं GM DCCB	15 जनवरी, 2021
3	भौतिक एवं मानव संसाधन की उपलब्धता	जिला -Technical Support Group का गठन	कलेक्टर डीएसओ -	15 जनवरी, 2021
		पंजीयन केन्द्र पर मैदानी अमले की तिथीवार ड्यूटी लगाना	कलेक्टर डीएसओ -	18 जनवरी, 2021
		पंजीयन समिति स्तर पर आपरेटर्स का नियोजन	कलेक्टर, उपायुक्त सहकारिता/GM CCB के माध्यम से पंजीयन समिति द्वारा	18 जनवरी, 2021
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना।	कलेक्टर, DIO NIC	19 जनवरी, 2021
		पंजीयन केन्द्र पर बैनर की उपलब्धता	कलेक्टर, जिला प्रबंधक, MPSCSC	20 जनवरी, 2021
		पंजीयन केन्द्र पर भौतिक संसाधन की उपलब्धता का सत्यापन	कलेक्टर अनुविभागीय - अधिकारी -	20 जनवरी, 2021

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
4	किसान पंजीयन	समितियों/मोबाईल एप/ई-उपार्जन मोबाइल एप पर	कलेक्टर - पंजीयन के विभिन्न माध्यम से	25 जनवरी से 20 फरवरी, 2021
		किसान का बैंक खाता एवं IFSC का मिलान Apex Bank	संचालक, खाद्य, NIC एवं MPSCSC द्वारा NPCI एवं को आपरेटिव-बैंक खाता GMCCB के माध्यम से	30 जनवरी से 25 फरवरी, 2021
5	सत्यापन	किसानों के रकबे एवं फसल का सत्यापन	तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (वन)	30 जनवरी से 25 फरवरी, 2021
6	प्रचार-प्रसार	प्रिन्ट मीडिया में पंजीयन प्रारंभ का विज्ञापन जारी करना	MD, MPSCSC	24 जनवरी, 2021
		कृषकों को SMS द्वारा पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि को आमंत्रित करना	संचालक, खाद्य	20 जनवरी, 2021
		कृषकों को गिरदावरी के डाटा से अवगत कराने हेतु SMS का प्रेषण	संचालक, खाद्य	20 जनवरी, 2021
		ग्राम पंचायत स्तर पर डोंडी पिटवा कर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर कृषकों की पंजीयन तिथि प्रकाशित करना	कलेक्टरअनुविभागीय / अधिकारी	22 जनवरी, 2021
		समिति स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर, उपायुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारिता	20 जनवरी, 2021
		मण्डी स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर, उप संचालक, कृषि	20 जनवरी, 2021
7	उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	खाद्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण वीडियो कान्फ्रेस के माध्यम से	संचालक, खाद्य	13 एवं 20 जनवरी, 2021
		राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण	संचालक, खाद्य	20 जनवरी, 2021
		State Resource Person प्रशिक्षण,	संचालक, खाद्य वीडियो कान्फ्रेंस	20 जनवरी, 2021
		जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	MPSCSC	21 जनवरी, 2021

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
		संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक खाद्य के प्रतिनिधी की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण	संभागायुक्त	21 जनवरी, 2021
		तहसील स्तरीय अधिकारियों का जिले पर उन्मुखीकरण	जिला कलेक्टर -राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन	22 जनवरी, 2021
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना।	कलेक्टर -DIO NIC	21 जनवरी, 2021
		जिला अधिकारियों का द्वितीय उन्मुखीकरण - (वीडियो कांफ्रेसिंग) डीआईओ, डीएसओ, डीएमओ, डीएम MPSCSC, उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मास्टर ट्रेनर	संचालक, खाद्य एवं SIO, NIC	24 जनवरी, 2021
		पंजीयन समिति, पंचायत, संबद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	जिला कलेक्टर-अनुविभागीय अधिकारी	22 जनवरी, 2021

परिशिष्ट-ब

जिलेवार पंजीयन केन्द्र

क्र.	जिला	पंजीयन केन्द्र
1	होशंगाबाद	290
2	विदिशा	199
3	सीहोर	180
4	सागर	177
5	उज्जैन	175
6	रायसेन	157
7	जबलपुर	157
8	हरदा	155
9	छतरपुर	145
10	देवास	142
11	टीकमगढ़	113
12	सतना	110
13	धार	109
14	छिन्दवाड़ा	105
15	रीवा	104
16	मन्दसौर	103
17	कटनी	102
18	नरसिंहपुर	100
19	सिवनी	98
20	खरगौन	91
21	राजगढ़	89
22	इन्दौर	82
23	दमोह	79
24	शाजापुर	79
25	बैतूल	79
26	श्योपुर	79
27	खंडवा	78
28	दतिया	78
29	अशोकनगर	75
30	ग्वालियर	72
31	पन्ना	71

क्र.	जिला	पंजीयन केन्द्र
32	शिवपुरी	70
33	गुना	68
34	मुरैना	68
35	रतलाम	65
36	भोपाल	63
37	सिंगरौली	60
38	भिण्ड	51
39	मण्डला	50
40	सीधी	42
41	नीमच	41
42	आगर मालवा	39
43	शहडोल	39
44	उमरिया	37
45	निवाड़ी	33
46	बालाघाट	28
47	बड़वानी	26
48	डिण्डोरी	25
49	झाबुआ	20
50	अलीराजपुर	17
51	अनूपपुर	8
52	बुरहानपुर	6
कुल		4529

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रबी वर्ष 2021-22 में किसान पंजीयन का आवेदन

आवेदन क्रमांक .... दिनांक ....

1.पंजीयन केन्द्र का नाम .... पंजीयन केन्द्र कोड ....

2. किसान का नाम (हिन्दी में) .... पिता/पति का नाम ....

3. किसान का नाम (अंग्रेजी में) .... पिता/पति का नाम ....

(जैसा बैंक खाते में दर्ज है)

4. निवासी ग्राम/वार्ड का नाम .... ग्राम पंचायत/वार्ड ....

5. तहसील .... जिला ....

6 वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....

7. किसान का मोबाइल नं. (+ 91 या 0 की आवश्यकता नहीं है) | | | | | | | | | | |

(इसके आधार पर अस्थाई पंजीयन होगा, इसकी पुष्टि (SMS/OTP) से की जावेगी ।

8 किसान की समग्र सदस्य आई.डी क्रमांक (09-डिजिट)

9 किसान का आधार नं. (12- डिजिट)

(आधार नं. ना होने पर आधार-पंजीयन क्र0 (ई-आई डी) की जानकारी दे)

10 राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक का नाम.. शाखा ....

एकल बैंक खाता संख्या

आई.एफ.एस.सी.कोड क्र

या

11 सहकारी बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या

आई.एफ.एस.सी.कोड.क्र

(क्रेडिट,जनधन, लोन,माइनर एवं संयुक्त बैंक खाते नहीं लिये जायेगे।)

12. किसान की स्वयं की भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	फसल का नाम	फसल की किस्म	मूल भूमि स्वामी की ऋण पुस्तिका	खाता क्रमांक	रकबा	बोई गई फसल का रकबा (हेक्टेयर)		कुल संभावित उपज (क्विंटल में)		मंडी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा क्विंटल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13 सिकमी/बटाई पर काश्त ली गई भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	फसल का नाम	फसल की किस्म	मूल भूमि स्वामी की ऋण पुस्तिका	खाता क्रमांक	रकवा	बोई गई फसल का रकबा		कुल संभावित उपज		मंडी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली	
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा	संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मूल भू-स्वामी का नाम एवं पता ....

14. वनाधिकार भूमि पर बोई गई फसल का विवरण:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खाता क्रमांक/पट्टा	फसल का नाम	फसल की किस्म	बोई गई फसल का रकबा हेक्टेयर में		संभावित विक्रय की 2 दिनांक	
						सिंचित	असिंचित	दिनांक 01	दिनांक 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15 उपार्जन लाने हेतु 3-संभावित दिनांक (1) ..... (2) ..... (3) .....

16 किसान द्वारा विक्रय (सरल क्र. 12 से 14 में उल्लेखित फसल) की जाने वाली उपज के भंडारण स्थल का पूर्ण पता एवं मात्रा .....

हस्ताक्षर उपार्जन केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी **हस्ताक्षर किसान/अगूंठा**

घोषणा पत्र

मैं ..... पिता/पति ..... यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं मध्यप्रदेश का/ की किसान हूं और उपरोक्त वर्णित समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैंने अपनी इस जमीन का पंजीयन अन्य किसी केन्द्र पर नहीं कराया है। उपरोक्त कण्डिका 10 में दिए गए बैंक खाते में योजनातर्गत उपार्जन की राशि सीधे जमा की जाए। यदि जांच उपरांत उपरोक्त वर्णित कोई भी तथ्य असत्य/मिथ्या पाया जाता है तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मेरे गिरदावरी के आंकड़े का मिलान मैंने कर लिया है।

हस्ताक्षर किसान/अगूंठा

नोट- पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है:-

1. नवीन किसान भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका तथा खसरा की प्रति।
2. समस्त वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पट्टा की प्रति।
3. सिकमी/पट्टे की भूमि होने पर उसका निर्धारित प्रारूप में अनुबंध-पत्र एवं मूल भू-स्वामी की ऋण पुस्तिका की प्रति।
4. आधार नं./आधार पंजीयन की रसीद (ई.आई.डी.नं.)।
5. एकल बैंक खाते की पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिस पर बैंक खाता नं. एवं नाम उल्लेखित है।
   (बैंक खाता राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा का होना अनिवार्य है।)

..... यहां से काट के किसान को पावती दी जाए .....

रबी वर्ष 2021-22 में उपार्जन हेतु पंजीयन पावती

आवेदन क्रमांक .....

श्री/श्रीमती ..... पिता/पति ..... निवासी ग्राम .... द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र ..... पर प्राप्त किया गया, जिसका पंजीयन क्र. ..... है।

अधिकृत पंजीयनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट- पंजीयन के समय गलत/भ्रमक जानकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 418 तथा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।